भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

<u>तारांकित प्रश्न सं. 91</u>

(जिसका उत्तर सोमवार, 10 फ़रवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है।)

"पट्टे पर दी गई संपत्तियों पर जीएसटी का प्रभाव"

91. **श्रीमती साजदा अहमद:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की पट्टे पर दी गई संपत्तियों पर लगाए जाने वाले जीएसटी को वापस लिए जाने की कोई योजना है क्योंकि इससे किरायेदारों और संपत्ति मालिकों पर वित्तीय बोझ पड़ता है;

(ख) क्या सरकार ने पट्टे पर दी गई संपत्तियों पर जीएसटी के आर्थिक प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन या परामर्श किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश भर में पट्टे पर दी गई संपत्तियों का सर्वेक्षण करने और उनके सटीक आंकड़े रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"पट्टे पर दी गई संपत्तियों पर जीएसटी का प्रभाव" के बारे में दिनांक 10 फ़रवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए श्रीमती सजदा अहमद द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 91 के उत्तर में उल्लिखित विवरण:-

(क) और (ख) : जीएसटी दरें या छूट जीएसटी परिषद की सिफारिश के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, जो एक संवैधानिक निकाय है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। 2017 में GST की शुरुआत के बाद से संपत्ति के किराए पर देने /पट्टे पर देने पर 18% GST लगाया जाता है। जीएसटी काउंसिल ने अपनी 54 वीं बैठक में गैर-आवासीय (वाणिज्यिक) संपत्ति को किराए पर देने /पट्टे पर देने पर, रिवर्स चार्ज के आधार पर जीएसटी लगाने की सिफारिश की है। इससे पहले यह फॉर्वर्ड चार्ज के आधार पर कर योग्य था। तदनुसार सीरियल नंबर 5AB पर एक प्रविष्टि को अधिसूचना संख्या 09/2024- CT (R) दिनांक 08.10.2024 के माध्यम से डाला गया था। बाद में यह पाया गया कि यह परिवर्तन कंपोजिशन योजना में उन पंजीकृत करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ पैदा कर रहा है, जो जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के हकदार नहीं है।

तदनुसार इस मामले पर चर्चा की गई और 21.12.2024 को आयोजित 55 वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में विस्तार से विचार किया गया। परिषद ने सिफारिश की कि कंपोजिशन लेवी के तहत आने वाले करदाता को अधिसूचना संख्या 13/2017- CT(R) दिनांक 28.06.2017 के सीरियल नंबर 5AB से बाहर रखा जाना चाहिए। तदुपरांत अधिसूचना 07/2025 - सीटी (आर) दिनांक 16.01.2025 द्वारा, कंपोजिशन करदाताओं को अपंजीकृत व्यक्ति से प्राप्त अचल संपत्ति सेवाओं के किराये/पट्टे के लिए रिवर्स चार्ज के आधार पर जीएसटी का भुगतान करने से बाहर रखा गया है।

(ग) : देश भर में पट्टे पर दी गई संपत्तियों का डेटा केंद्र सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है।

*****